राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 486–पीबीआर/11 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–05–2015	उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–12–2010 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं बतलाई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, और न ही अभिलेख परिलक्षित त्रुटि ही बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निकाले गये निष्कर्षों को अवैध ठहराने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर केम्प - भोपाल

प्र0क्रं0 Reg -486-PBR/2011

1- घनश्याम आ0 भंगवानदास पालीवाल, वयस्क
2-संजयकुमार आ0 भंगवानदास पालीवाल, वयस्क
निवासीगण- केतोधान जिला- रायसेन
हाल निवास- जे0जे0रोड बरेली जि0रायसेन।मप्र।
द्वारा:- मुख्तार आम- सुनील पालीवाल आ0 भंगवानदास

3- सुनील xxxकुमार आ0 भंगवानदास पालीवाल
आयु-वयस्क निवासी-केतोधान जिला-रायसेन
हाल निवास - जे0जे0 रोड बरेली ।रायसेन। - - -आवेदकगण

--- विरूद्ध --

1- महेश आ0 गोवर्धनदास, वयस्क
2-दिनेश आ0 गोवर्धनदास, वयस्क
3- योगेश आ0 गोवर्धनदास, वयस्क
4- श्रीमति सावित्रीबाई विधवा स्व0गोवर्धनदास
समस्त निवासीगण ग्राम-केतोधान तह0उदयपुरा
जिला- रायसेन । ---- अनावेदकगण

पुन: विलोकन अन्तर्गत धारा-51 म0प्र0भू रा0 सं0 1959.

महोदय,

आवेदकगण द्वारा निगरानी प्र0क्रं0 1569/1/2003 में पारित आदेश दि0 21/12/010 से दुखित एवं असंतुष्ट होकर यह पुन: विलोकन माननीय न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत है ।